

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.**



मि0न0 -90/2019

अनवान : -

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. श्रवण कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. औमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

**वादीगण**

**बनाम**

1. मनीराम पुत्र भजूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. रामेश्वरी देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. कृष्णा देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. गीता देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. कृष्णा देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती**  
**अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री किशनलाल यादव वादीगण  
श्री जगदीश महला वकील प्रतिवादीगण

**निर्णय 20/02/2020 दिनांक: 20/02/2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 के मु0 न0 17 के किला न0 5, 6, 15 ता 17, 24, 25, 14/1 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि तथा इसी प्रकार चक 4 एनटीआर के खाता सं 60/58 के मु0 न0 16 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 7.590 है0 मय रास्ता कृषी भूमि तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 के मु0 न0 42 के किला न0 13,14,17,18,23,24 मु0 न0 47 के किला न0 3, 4 कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं। प्रतिवादी सं 1 को वाद भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि पहले वादी के दादा भजूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। भजूराम के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं 1 मनीराम महज कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि को विरासतन अपने नाम दर्ज करा लिया। अतः वाद भूमि पैतृक व दादालाई सम्पति है।

जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 ता 5 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण को अपने हकों की घोषणा करा पाने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 ता 5 ने ईकबाल दावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में श्रवण कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 4 एनटीआर खाता सं 59/54 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं 60/58 प्रदर्श 2 जमाबंदी खाता सं 16/10 प्रदर्श 3 जमाबंदी खतौनी चक 4 नेठराना प्रदर्श 4 जो 3 प्रतियों में हो है। व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादीगण ने चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 के मु0 न0 17 के किला न0 5, 6, 15 ता 17, 24, 25, 14/1 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि तथा इसी प्रकार चक 4 एनटीआर के खाता सं 60/58 के मु0 न0 16 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 7.590 है0 मय रास्ता कृषी भूमि तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 के मु0 न0 42 के किला न0 13,14,17,18,23,24 मु0 न0 47 के किला न0 3, 4 कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो दादालाई व पैतृक कृषी भूमि है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषी भूमि होना साबित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। चूंकि प्रतिवादीगण ने ईकबाल दावा पेश किया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से वाहमी बंटवारा कर लिया है जिसमें चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 की कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता व खाता सं 60/58 की कुल 7.590 है0 मय रास्ता कृषी भूमि में प्रतिवादी सं 1 मनीराम का नाम कलमजन कर वादीगण सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर व चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 की कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि यथावत प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे। प्रतिवादी सं 2 ता 5 ने अपने हक हिस्से को वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

२

उपरखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 के मु0 न0 17 के किला न0 5, 6, 15 ता 17, 24, 25, 14/1 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि तथा इसी प्रकार चक 4 एनटीआर के खाता सं 60/58 के मु0 न0 16 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 7.590 है0 मय रास्ता कृषी भूमि तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 के मु0 न0 42 के किला न0 13,14,17,18,23,24 मु0 न0 47 के किला न0 3, 4 कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 की कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता व खाता सं 60/58 की कुल 7.590 है0 कृषी भूमि जो प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें मनीराम का नाम कलमजन कर वादीगण सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 की कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि यथावत प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में बनी रहे। प्रतिवादी सं 2 ता 5 के द्वारा वादीगण के पक्ष में तर्क किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण सं 1 ता 3 को चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 तथा खाता सं 60/58 में प्रतिवादी सं मनीराम का नाम कलमजन कर बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/2/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



५  
(मुकेश बारैठ)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S  
भादरा (जिला-हनुमानगढ)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.**

मि0न0 -90/2019

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. श्रवण कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. औमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

**वादीगण**

**बनाम**

1. मनीराम पुत्र भजूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. रामेश्वरी देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. कृष्णा देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. गीता देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. कृष्णा देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

**प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादीगण श्री किशनलाल यादव व वकिल प्रतिवादीगण श्री जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 के मु0 न0 17 के किला न0 5, 6, 15 ता 17, 24, 25, 14/1 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता कृषी भूमि तथा इसी प्रकार चक 4 एनटीआर के खाता सं 60/58 के मु0 न0 16 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 25 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 7.590 है0 मय रास्ता कृषी भूमि तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 के मु0 न0 42 के किला न0 13,14,17,18,23,24 मु0 न0 47 के किला न0 3, 4 कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 की कुल 4.503 है0 नहरी मय रास्ता व खाता सं 60/58 की कुल 7.590 है0 कृषी भूमि जो प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें मनीराम का नाम कलमजन कर वादीगण सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तथा चक 4 एनटीआर के खाता सं 16/10 की कुल 2.007 है0 नहरी कृषी भूमि यथावत प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में बनी रहे। प्रतिवादी सं 2 ता 5 के द्वारा वादीगण के पक्ष में तर्क किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषी भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण सं 1 ता 3 को चक 4 एनटीआर के खाता सं 59/54 तथा खाता सं 60/58 में प्रतिवादी सं 1 मनीराम का नाम कलमजन कर बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



**(मुकेश बारैठ)**  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ)  
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**  
भादरा जिला हनुमानगढ

